

न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म0प्र0)

आदेश दिनांक-29.01.2018

प्र0कं0 62/13 विद्युत

म0प्र0 विद्युत
// बनाम //
लटूरी आदि

.....अभियोगी

..... आरोपी

Order sheet (contd)

case N0- 62/of 2013

F.N.-230301008802013

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
29.01.2018	<p>परिवादी द्वारा श्री भानुप्रताप शर्मा अधिवक्ता। अभियुक्त लटूरी एवं उदयवीर अनुपस्थित। प्रकरण लटूरी एवं उदयवीर की उपस्थिति हेतु नियत है।</p> <p>पुलिस थाना फूफ जिला भिण्ड से अभियुक्त लटूरी एवं उदयवीर का वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गये है फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक रमाकान्त शर्मा उपस्थित हैं।</p> <p>उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है।</p> <p>उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अभियुक्त लटूरी एवं उदयवीर को फरार घोषित किया जाता है। उनके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक रमाकान्त शर्मा को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे।</p> <p>धारा 82 द0प्र0सं0 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्तगण की सम्पत्ति का विवरण पेश करे।</p> <p>प्रकरण में आरोपीगण फरार हैं। तदानुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ</p>	

	<p>पर लाल स्याही से अंकित की जावे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे।</p> <p>सही / – (डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)</p>	
--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)